

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 1981/आश्विन 28, 1903
No. 346] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 1981/ASVINA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विश्व मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 अक्तूबर 1981

सं० का० नि० सं० 563 (अ) —केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दमरी अनुसूची के शीर्षक सं० 20 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को अब उनका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त दमरी अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उक्त भाग से छूट देती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से अधिक है।

सारणी

क्रम सं० (1)	साल का वर्णन (2)	शुल्क की दर (3)
1	सुगफली के क्षति	रु० 1500/-प्रति टन
2	छिलके सहित सुगफली	रु० 1125/-प्रति टन

[सं० 230 सीमाशुल्क /फा० सं० 347/7/80- टी आर यू]

जे० श्रीधरन, अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1981

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under Heading No. 20 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule, as is in excess of the rate of duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Serial No.	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Groundnut kernel	Rs. 1500 per tonne.
2.	Groundnut in shell	Rs. 1125 per tonne.

[No. 230-Customs/F. No. 347/7/80-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.